

:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्र० सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता / पति का नाम श्री / श्रीमती / कु०	वर्तमान तैनाती / जोन का नाम
1	2	3	4
1.	1400	फुर्त लाल / बरखू	गोरखपुर
2.	1417	पन्ना राम / मोती राम	मुख्यालय
3.	1449	अनिल कुमार / प्रकाश चन्द्र	मुजफ्फरनगर
4.	1457	बिजेन्द्र सिंह भदौरिया / छटकूनू सिंह	इटावा
5.	1463	वीरेन्द्र कुमार / रजीत सिंह	इटावा
6.	1464	धर्मेन्द्र कुमार / श्याम लाल	इटावा
7.	1468	सत्यव्रत पाठक / राम प्रकाश पाठक	लखनऊ
8.	1971	अजय सिंह / परशुराम सिंह	मुरादाबाद

- उपरोक्त कार्मिकों को चयन वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के सापेक्ष उनसे कनिष्ठ कार्मिकों को प्रदान की गयी पदोन्नति की तिथि 31-08-2020 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।
- क्रमांक-7, ज्येष्ठता क्रमांक-1468 पर अंकित कार्मिक को रिट याचिका संख्या-18445/2019 नरसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन पदोन्नति प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 26-10-2020 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 27-10-2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।
- संबन्धित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई० ओ० डब्ल्यू० जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस

पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।


(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, गोरखपुर, सहारनपुर, इटावा, मुरादाबाद, जोन प्रथम लखनऊ ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, मुजफ्फरनगर, इटावा ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, सम्भाग-ए गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद ।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्यकर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 6- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, वाणिज्य कर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, लखनऊ, मुरादाबाद ।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, गोरखपुर, मुख्यालय, मुजफ्फरनगर, इटावा, लखनऊ, मुरादाबाद ।
- 8- संबंधित अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 9- चरित्र पंजिका सेल, वाणिज्य कर, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय ।
- 10- पटल प्रभारी स्था-4क, 4ख, 4घ, 5क, स्था-6 सामान्य वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।


(पी0एन0यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना अराज0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।